

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रं.

/2015-16 विविध

Alas-9026- I-16

16-114 22-7-16 41 TO TOHO STU DES A/

22.7.16 St

PID Bholington

1— शिवचरन डण्डौतिया पुत्र सियारामडण्डौतिया जाति ब्राम्हण

2— श्रीमती बिट्टोदेवी पत्नी विशराम जाति ठाकुर

3— रामदयाल शर्मा पुत्र घनपाल शर्मा जाति ब्राम्हण

कपूरीदेवी पत्नी रामप्रकाश शर्मा जाति ब्राम्हण

5— सीमा सिकरवार पत्नी विक्रमसिंह सिकरवार जाति ठाकुर

6- रामस्वरूप पुत्र जाहरसिंह जाति गुर्जर ठाकुर

समस्त निवासीगण केशव कॉलोनी, मुरैना तहसील व जिला मुरैना (म. प्र.)

......आवेदकगण

विरुद्ध

1- नरेन्द्रलाल शाह

2- पियूषकुमार शाह

He

3- प्रफूल्लचन्द्र शाह

4— कृष्णकुमार शाह पुत्रगण स्व. श्री केशवलाल शाह निवासीगण आयुर्वेदिक गांधी औषधालय रोड, डॉ. बादिल के पास, जीवाजीगंज मुरैना तहसील व जिला मुरैना (म. प्र.).....अनावेदकगण

आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 29 म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959

श्रीमान् जी,

आवेदकगण की ओर से आवेदन निम्नलिखित प्रस्तुत है :-

- 1— यह कि केशव कॉलोनी, मुरैना में गार्डन (पार्क) की भूमि स्थित थी। इस पार्क की भूमि को अनावेदकगण विक्रय करना चाहते थे। माननीय उच्च न्यायालय में पी. आई. एल. आवेदकगण ने प्रस्तुत की। जिसका WP क्रमांक 6964/2010 (पी. आई. एल.) है। इस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर ने दिनांक 10/01/2011 को अनावेदकगण को गार्डन की भूमि को विक्रय करने से रोक लगायी है और श्रीमान् कलेक्टर मुरैना को गार्डन की भूमि जांच करने बाबत् प्रकरण भेजा।
- 2- यह कि श्रीमान् कलेक्टर जिला मुरैना ने दिनांक 08/06/15 को जांच करके गार्डन के संबंध में आदेश पारित किया।
- 3— यह कि उक्त प्रकार से केशव कॉलोनी, मुरैना में विधिवत् पार्क बना हुआ है और नगरपालिका मुरैना ने विधिवत् टेन्डर पारित कर पार्क का निर्माण व बाउन्ड्रीबॉल का निर्माण कराया। जिसके संबंध में फोटोग्राफ संलग्न है।
- 4— यह कि अनावेदकगण को पार्क के संबंध में अगर कुछ तथ्य बताने भी है तो माननीय उच्च न्यायालय में कार्यवाही करना चाहिए थी। लेकिन अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0 प्र0,ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक विविध 9026—दो / 2016 जिला—मुरैना

रथान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14.9.17	आवेदक के अधिवक्ता श्री एम0 पी0 भटनागर उपस्थित। उनके	
	द्वारा अनुरोध किया गया है कि प्रकरण को वह आगे नहीं चलाना	5
	चाहते हैं। अतः प्रकरण न चलाने के कारण इसी रेतर पर समाप्त	
	किया जाता है।	
	भदस्य	
m/		
		9 8.
, s		